



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7963/2026

कृष्ण मोहन पांडे

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंकेश कुमार दुबे, अंशुमन मणि त्रिपाठी, पवन कुमार मौर्य

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/ नायब तहसीलदार, कुशीनगर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के तहत मामला संख्या 6265/2024 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या T202405440606265) (कृष्ण मोहन पांडे बनाम जनार्दन और अन्य) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर यूपी राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) पर ध्यान देना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसा आवेदन दाखिल होने पर, संबंधित प्राधिकरण को कानून के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं

किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अनुसार,

1. “(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर निर्विवाद उत्परिवर्तन मामले का और विवादित उत्परिवर्तन मामले का 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा”।
5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2 / नायब तहसीलदार, जिला कुशीनगर को निर्देश जारी किया जाता है कि वह उक्त आवेदन पर विचार करे और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, लेकिन अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, उसका निपटारा करे।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिपक्षों की दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।